मकाल स्टांकन इपण बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी डेवट 2070-73 मौजा तुरसंगपुरा के अनुसार विवादित आराजी ख.नं. 546 रकबा 1 बीघा 0 बिस्वा वादी की खातेदारी की नहीं है। टिनेन्सी एक्ट की धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष केवल आसिद्धारी (खातेदार) ही प्राप्त कर सकता है, इसलिए बिना खातेदारी की भूमि पर मात्र कब्जे के आधार पर टीनेन्सी एक्ट की धारा 188 के तहत अनुतोष मांगना कानून सम्मत नहीं है।

पुनश्च विवादित आराजी खसरा नं. 546 पर मीना जाति (अनुसूचित जनजाति) के व्यक्तियों की खातेदारी है जिसका विनिमय सामान्य जाति के खातेदार

Ri4

निरन्तर

हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
सूरजमल vs धनपाल वगैरह दावा मुकदमा 15/16 के साथ नहीं किया जा सकता है, ऐसा करना रैवेन्यू एक्ट की धारा 48 का उल्लंघन है। इस धारा के अनुसार केवल समान वर्ग के खातेदार ही तहसीलदार के आदेश से अपनी भूमियों का विनिमय कर सकते है। राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत मात्र कब्जे के आधार पर घोषणा का दावा पत्र नहीं स्वीकार किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में वादी जो कि सामान्य जाति का है, द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों (प्रतिवादीगण) की खातेदारी भूमि पर मात्र कब्जे के आधार पर धारा 88 राज० टी० एक्ट के तहत घोषणा का वाद पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः उपर्युक्त विवरणानुसार प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल्स 11 CPC स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Riy	